रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 1978/कार्तिक 25, 1900

No. 507] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1978/KARTIKA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 31/78

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1978

खुला लाइसेंस सं. : 14/78

का. आ. 649(अ).—आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 8) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबद्ध क्षेत्रों में स्थित वास्तविक उपभोक्ताओं को (1) पूंजीगत माल, (2) कच्चे माल, (3) संघटकों, (4) फालतू पूर्जे, (5) उपभोग्य वस्तुओं, (6) पैकिंग और इसके साथ-साथ (7) औजारों, बिग्स जुड़नारों एवं गेज के लिए (1) कांडला स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र और (8) सांताक्रूज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र में आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है और यह प्रत्येक मामले में यह लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगी।

2. सम्बद्ध क्षेत्र के विकास आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे वास्तविक उपयोक्ता अपने उत्पादन, उत्पाद विविधीकरण और विकास के लिए (1) प्रोटोटाईप्स (2) तकनीकी और व्यापार नमूनों जिसमें प्रत्येक किस्म के नमूनों की संख्या दो से अधिक न हो और (8) ड्राईंस, नीले नक्शों, चार्ट, माइक्रोफिल्म सहित तकनीकी आंकड़ों और इसके साथ-साथ (4) कार्यालय उपकरण, फालतू पूर्जों और उसकी उपभोग्य सामग्री का भी आयात कर सकते हैं।

3. ऐसे वास्तविक उपभोक्ता (1) क्षेत्र में उनके द्वारा मरम्मत/पुनर्नवीन के लिए और उसके बाद उन्हें पुनः निर्यात करने के लिए प्राप्त किए गए माल या (2) वास्तविक उपभोक्ता द्वारा समुद्र पार प्रेषितियों से उसको भेजने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के दौरान लौटाए गए माल का भी (विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत निहित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्) आयात कर सकते हैं।

4. आयातक निर्धारित विधि में आयात, आयातित सभी माल के उपभोग और उपयोग एवं उसके द्वारा किए गए निर्यातों का सही लेखा रखेगा और समय-समय पर यथा अपेक्षित ऐसे लेखे को क्षेत्र के विकास आयुक्त और सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

5. यह अनुमति किसी भी अन्य निषेध के अंतर्गत करने वाले सामान या आयात को प्रभावित करने वाले विनियम, जो उस समय लागू होंगे जब माल का आयात किया जाता है तो उनके लिए लागू करने के विचार पर ध्यान दिए बिना ही होगी।

6. यह अनुमति आदेश सं. 15/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अधिक्रमण में है।

[मि. सं. 1।2।16।आरईपी।74-ईपीसी]

का. वें. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 31/78

New Delhi, the 16th November, 1978

OPEN GENERAL LICENCE NO. XIV/78

S.O. 649(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission to the Actual Users located in the respective Zones for the import of (1) Capital Goods, (2) raw materials, (3) components, (4) spares, (5) consumables, (6) packing materials as well as (7) tools, jigs, fixtures and gauges into (i) the Kandla Free Trade Zone, and (ii) the Santacruz Electronics Export Processing Zone, subject to the Actual User Condition as applicable thereto in each case.

2. On the recommendation of the Development Commissioner of the concerned Zone, such Actual Users may also import for the purpose of their own production, product diversification and development (i) prototypes, (ii) technical and trade samples not exceeding two in number of each type of samples and (iii) drawings, blue prints, charts, technical data including micro-films as well as (iv) office equipment, spares and consumables thereof.

3. Such Actual Users may also import goods received (i) for repairs/reconditioning by them in the Zone and to be re-exported thereafter or (ii) back from the consignees overseas within a period of three years from the date of their despatch to him by the Actual User (after following the connected formalities under the Foreign Exchange Regulations Act).

4. The importer shall maintain in the prescribed form proper account of the import, consumption and utilisation of all imported materials and of the exports made by him and submit them periodically as required to the Development Commissioner of the Zone and to the licensing authority concerned.

5. This licence is without prejudice to the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting the import that may be in force at the time when such goods are imported.

6. This Licence is in supersession of order No. 15/78, dated the 3rd April, 1978.

[File No. 1/2/XVI/REP/74-EPC]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978